न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 7/2023 (अपील)

GCMS No. 2023/43

अनवान

1. श्रीमती चन्दन कुंवर पत्नी सज्जन सिंह जी राजपूत निवासी ग्राम देवडावास, तहसील झाडोल उदयपुर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये पटवारी हल्का कोल्यारी, तहसील झाडोल, जिला—उदयपुर।
2. श्री गोविन्दसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत,
3. श्री कर्णसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत,
4. श्रीमती भंवर कुंवर पत्नी मोहनसिंह राजपूत सर्वनिवासीयान ग्राम देवडावास तहसील झाडोल, उदयपुर।

उपस्थित

1. श्री भगवतसिंह शक्तावत, अपीलान्ट अधिवक्ता।
2. श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरूद्ध उपतहसीलदार फलासिया प्र.स. 1/23 ना.क. निर्णय दिनांक 03.06.2023

* निर्णय *

दिनांक— 30-04-2024

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 मय स्थगन प्रा.पत्र एवं शपथ पत्र के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रशासन गांव के संग कैम्प देवडावास में रास्ते पर अतिक्रमण किये जाने बाबत् ग्राम देवडावास के खसरा संख्या 633 रकबा 0.04 है. बिलानाम भूमि मगरी पर अतिक्रमण किये जाने बाबत् प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट व अन्य को धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलाण्ट दिनांक 31.05.2023 को कैम्प देवडावास में उपस्थित हुई एवं जवाब हेतु अवसर चाहा जिस पर अपीलाण्ट को जवाब हेतु अवसर दिया गया किन्तु आगामी पेशी तारीख व उपस्थित होने का स्थान नहीं बताया गया व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2023 को अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 03.06.2023 को एक [illegible] निर्णय पारित कर ग्राम देवडावास की आराजी संख्या 633 रकबा 0.04 है. में से 60 [illegible] 2 [illegible] चौडाई के क्षैत्र मे पक्की चारदिवारी बनाकर अतिक्रमण किया [illegible] हटाये जाने एवं शास्ति आरोपित किये जाने का निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथीत होकर अपीलाण्ट की ओर से [illegible] अधारों पर

अपील प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं विधि के विपरित होने से काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध जो निर्णय पारित किया वह काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मान निर्णय पारित कर दिया गया जबकि अपीलाण्ट अपनी खातेदारी की आराजी संख्या 262 पर काबिज हैं एवं उसके द्वारा वर्षो पूर्व बनाई गई पक्की चारदिवारी भी उसकी स्वंय की खातेदारी की आराजी संख्या 262 में ही बनी हुई है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की आराजी संख्या 262 की नपती करवाकर यह जांच करवाये बिना कि उक्त चार दिवारी अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि में बनी हुई है या आराजी संख्या 633 बिलानाम भूमि में बनी हुई हैं। उक्त जांच कराये बिना आनन फानन में बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाण्ट को अतिक्रमी मान उसकी वर्षो से बनी हुई पक्की चार दिवारी को तोडने का निर्णय पारित किया गया, जो काबिल निरस्त के हैं। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी संख्या 262 नपती कराये जाने के पश्चात अंतिम निष्कर्ष पर पंहुचना चाहिये था कि अतिक्रमण माने जाने वाली चारदिवारी बिलानाम भूमि पर निर्मित है अथवा अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि पर निर्मित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई जाकर केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आनन फानन में बिना सुनवाई का अवसर दिये आक्षेपित निर्णय पारित किया जो काबिल निरस्त के हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय पारित निर्णय दिनांक 03.6.2023 की पालना में यदि अपीलाण्ट द्वारा निर्मित अपनी खातेदारी की आराजी संख्या 262 में निर्मित पक्की चार दिवारी को तोड दिया गया तो अपीलाण्ट को अपूर्णनीय क्षति होगी जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को न्यायहित में निरस्त फरमाया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.06.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेन्टस संख्या 4 के विरूद्ध अधीवक्ता अपीलाण्ट द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता कल्पित जैन उपस्थित होकर प्रकरण में बहस करना चाहा। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब की गई। प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा निवेदन किया कि कैम्प में पटवारी ने रिपोर्ट दी जिसके आधार पर 60 बाई 2 फीट का कब्जा बता नोटिस दिया गया। कुल 4 लोगो को [illegible] दिया है। प्रार्थी चन्दनकुंवर उपस्थित हुई केवल हस्ताक्षर कराये आगामी पेशी एवं स्थान [illegible] और अन्य कैम्प में निर्णय पारित कर दिया। प्रार्थीया को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है। आराजी सख्या 262 मेरी खातेदारी भूमि है जिसकी नपती करा लेवे यदि मौके पर [illegible] होगी तो मैं स्वंय कब्जा हटा लूंगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Date: 2024.05.06 16:56:37 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी में सीमा विवाद होने से आराजी संख्या 633 की नपती करानी चाहिए, उक्त आराजी की कोई नपती रिपोर्ट नहीं दी। मैं अपनी खातेदारी जमीन में बैठा हूं किसी अन्य की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता राजपैरोकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी बेदखली आदेश के खिलाफ न्यायालय में आए है। जमीन की नपती प्रार्थी को स्वंय के स्तर पर करानी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में कोई भूल नहीं की है। अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर बगौर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया। अपीलाण्ट्स द्वारा उपतहसीलदार फलासिया के मुकदमा सख्या 01/2023 अनवान पटवारी हल्का कोल्यारी बनाम गोविन्दसिंह व अन्य में निर्णय दिनांक 06.06.2023 अन्तर्गत धारा 91 रा.ले.रे.एक्ट के विरूद्ध अपील मय स्थगन के तहत पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के मूल प्रकरण के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि पटवारी हल्का कोल्यारी द्वारा उप तहसीलदार फलासिया को गांव देवडावास की अराजी संख्या 633 रकबा 0.04 किस्म मगरी होकर मौके पर रास्ते के रूप में आमजन के उपयोग में आने से उस पर अपीलाण्ट द्वारा ल. 60फीट X चो. 2फीट X उंचाई 4.5 फीट की बाउण्ड्रीवाल बनाकर अतिक्रमण करना बता प्रकरण पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.2023 को प्रकरण दर्ज कर नोटिस देकर दिनांक 03.06.2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोल्यारी में निर्णय पारित कर अतिक्रमी को बेदखल करने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट का तर्क है कि उन्हे सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया, पेशी के दिन केवल हस्ताक्षर करवाये गये एवं आगामी पेशी की जानकारी नहीं दी गई। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार फलासिया द्वारा उक्त प्रकरण में कार्यवाही करने में जल्दबाजी की गई है, अपीलाण्ट को सुनवाई का पुरा अवसर नहीं दिया गया है। पटवारी द्वारा दिनांक 31.05.2023 को रिपोर्ट कैम्प में प्रस्तुत की गई। जिस पर प्रकरण केम्प मे दर्ज कर दिनांक 31.05.2023 को ही नोटिस जारी कर उसी दिन सुनवाई तिथी दिनांक 31.05.2023 नियत की गई एवं उसके 2 दिवस पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2023 को निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलाण्ट का कथन है कि उसने बाउण्ड्रीवाल कई वर्षो पूर्व बना रखी है। उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं करना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बेदखली के आदेश पारित कर दिये जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वह पक्षकार को सुन लेते एवं अपीलाण्ट को उनका पक्ष रखने का अवसर देकर पश्चात कोई निर्णय पारित करते जिससे प्रकरण के निर्णय करने में सुगमता रहती। न्यायहित में उचित है कि पक्षकारों को सूनवाई का पूर्ण अवसर देकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प में जल्दबाजी में निर्णय पारित किया गया है जिससे पक्षकार पूर्णरूप से अपना पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Date: 2024.05.06 16:56:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय में नहीं रख सके है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप नहीं होने से अपास्त किया जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार फलासिया जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 1/2023 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2023 को अपास्त किया जाकर प्रकरण उपतहसीलदार फलासिया को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर प्रार्थी के भी खातेदारी भूमि का सीमांकन कराते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Date: 2024.05.06 16:56:37 IST
Reason: SelfAttested